रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246399
CG-DL-E-08062023-246399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945
No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JAISHTHA 18, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

सं. 13 /2023

विषयः 31.10.2023 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची–I (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज का आयात।

फा. सं. 01/53/8/विविध/एएम22/एम–1/आईसी.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा 31.10.2023 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज के आयात की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:

1. संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, **31.10.2023 तक** उक्त आयात **35,000 मीट्रिक टन** से अधिक नहीं होगा **और वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर अनुमत होगा**। तद्नुसार डीजीएफटी इस सार्वजनिक **सूचना की तिथि से और अधिकतम 15.06.2023** तक तरबूज के बीज के प्रतिबंधित आयातों हेतु लाइसेंस के लिए निम्नानुसार नए आवेदन आंमत्रित करता है:

i. आवेदनों, जहां आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) जारी करने की तारीख इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को या उसके बाद है, पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. आवेदनों पर वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर प्रोसेसरों के लिए केवल उनकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता और तरबूज के बीज के पिछले आयातों के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

iii. प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाते हुए सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले जारी किए गए वैध एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदान करना अपेक्षित होगा।

iv. तरबूज के बीज हेतु आवेदक के टर्नओवर के साथ ही साथ आवेदक के समग्र टर्नओवर को प्रमाणित करते हुए एक वैध सीए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. एक आईईसी के तहत केवल एक आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

vi. किसी गलत घोषणा के मामले में, आवेदक पर मौजूदा आवंटन के लिए विचार नही किया जाएगा और इसके पश्चात अगले 2 वर्षों के लिए ऐसे आवंटनों की अनुमति नही दी जाएगी।

2. प्रत्येक आवेदन हेतु अनुमत आयातों के लाइसेंस की मात्रा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.48 के अनुसार एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) द्वारा तय की जाएगी। आवेदनों की जांच करते समय ईएफसी, अन्य बातों के साथ–साथ वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता और वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 में तरबूज के बीजों के आयात को ध्यान में रखेगी।

3. वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 में आवेदक (आवेदकों) द्वारा तरबूज के बीजों के औसत आयात को 30 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी। आवेदक की प्रोसेसिंग क्षमता को 70 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।

4. कोई भी पात्र आवेदक विनिर्दिष्ट तरजीह के आधार पर आवंटन हेतु पात्र है। डीजीएफटी यह सुनिश्चित करने के लिए कि मात्राओं का मितव्ययितापूर्ण आवंटन किया गया है, आवंटित की जाने वाली मात्रा के लिए फ्लोर और/अथवा अधिकतम सीमा को भी विनिर्दिष्ट करेगा। इसके अलावा, डीजीएफटी के पास किसी भी समय जैसा उचित समझा जाएगा, आवंटन प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. सभी भावी लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त लाइसेंसों के तहत आयात खेप दिनांक 31.10.2023 को अथवा इससे पहले भारतीय पत्तनों पर पहुंचे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 31.10.2023 तक आयात हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के तहत तरबूज के बीजों के प्रतिबंधित आयातों हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 15.06.2023 है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th June, 2023

No. 13 /2023

Subject: Import of Watermelon Seeds under ITC(HS) 12077090 of ITC(HS), 2022 Schedule-I (Import Policy) for the period upto 31.10.2023

F. No. 01/53/8/Misc/AM22/M-1/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the procedure for import of Watermelon Seeds under ITC(HS) 12077090 for the period of up to 31.10.2023 as follows –

1. As per the recommendation from the concerned ministry, the imports of Watermelon Seeds **upto 31.10.2023** shall not exceed **35,000 MTs and shall be allowed on Actual User basis**. Accordingly, DGFT invites fresh applications for Licence for Restricted imports for Watermelon Seeds with effect from the date of this Public Notice and **not later than 15.06.2023** as follows -

i. Applications where the date of issuance of their Importer-Exporter Code (IEC) is on or after the date of this Public Notice shall not be considered.

ii. The applications shall be considered on Actual User basis to processors only, based upon their own processing capacity and past imports of Watermelon Seeds.

iii. A valid FSSAI Licence issued before the date of the Public Notice indicating the processing capacity is required to be provided.

iv. A valid CA Certificate certifying the overall turnover of the applicant as well as the applicant's turnover for watermelon seeds is required to be provided.

v. Only one application against one IEC shall be considered.

vi. In case of any mis-declaration, the applicant shall not be considered for the current allocation and shall be disallowed from subsequent such allocations for the next 2 years.

2. The quantity of imports permitted to each application shall be decided by the Exim Facilitation Committee (EFC) as per para 2.48 of the HBP 2023. The EFC, while examining the applications will take into considerations; inter alia, the annual processing capacity and imports of Watermelon seeds in 2020-21, 2021-22 and 2022-23.

3. 30% weightage shall be given to the average import of watermelon seeds by the applicant(s) in 2020-21, 2021-22 and 2022-23. 70% weightage shall be given to the applicant's processing capacity.

4. Any eligible applicants are entitled for allocation based on the weightage specified. DGFT may however specify a floor and/or ceiling for the quantity(s) to be allocated, to ensure that economic quantities are allocated. Further, DGFT shall reserve the right to make any changes in the allocation process as deemed fit, at any point of time.

5. All prospective Licensees shall ensure that the import consignments against the said licences reach the Indian ports on or before 31.10.2023.

Effect of this Public Notice:

Applications are invited for licence for restricted Imports for Watermelon seeds under ITC(HS) 12077090 for import upto 31.10.2023. The last date for submission of online applications is 15.06.2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA